

बिहार सरकार
अनुसूजाति एवं अनुसूजनजाति कल्याण विभाग
सं0सं0-4/निदे0अनुसूजाति आ0वि0(राज्य स्कीम)संधा0-46-04/2025- 297

प्रेषक,

निदेशक।

सेवा में,

जिला कल्याण पदाधिकारी,
गयाजी।

पटना, दिनांक- 29.01.2026

विषय:—वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय अम्बेदकर आवासीय उच्च विद्यालय, महकार, गयाजी के संधारणार्थ चिकित्सा भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं विद्युत प्रभार मदों में कुल राशि ₹33,50,000/—(तेतीस लाख पचास हजार रू0) मात्र संलग्न विवरणी के अनुसार राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष-2025-26 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय महकार, गयाजी के संधारणार्थ वेतनादि एवं अन्य मदों में ₹1,80,00000/—(एक करोड़ अस्सी लाख रू0) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-32 दिनांक-22.04.2025 द्वारा प्रदान किया गया है। द्वितीय अनुपूरक आगणन के तहत चिकित्सा भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं विद्युत प्रभार मदों में अतिरिक्त ₹31,39,000/—(इकतीस लाख उनचालीस हजार रू0) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति पत्रांक-293 दिनांक-27.01.2026 द्वारा प्रदान की गयी है। तदालोक में संलग्न विवरणी के अनुसार कुल ₹33,50,000/—(तेतीस लाख पचास हजार रू0) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2- आवंटित राशि का व्यय राज्य स्कीम से मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यको का कल्याण-उप मुख्यशीर्ष-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-001-निदेशन और प्रशासन-उपशीर्ष-0102-आवासीय विद्यालय-विषय शीर्ष-0102.01.06-चिकित्सा भत्ता, 0102.06.01-चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं 0102.13.04-विद्युत प्रभार मद में मांग संख्या-44-विपत्र कोड सं0-44-2225010010102 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3- इस आवंटित राशि का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला कल्याण पदाधिकारी, गयाजी होंगे तथा उप विकास आयुक्त, गयाजी इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

4- वित्त विभाग के पत्र सं0-2561, दिनांक-17.04.1998 तथा समय समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत पत्रों एवं परिपत्रों के आलोक में निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

5- संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

6- संबंधित राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए किया जाएगा।

7- आवंटनादेश में निहित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व संबंधित जिला के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

8- इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को दी जा रही है।

9- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वसभाजन,
29/1/26
निदेशक

8 5

ज्ञापांक-4/निदे0अनु0जाति आ0वि0(राज्य स्कीम)संधा0-46-04/2025- 297 पटना, दिनांक-29.01.2026
प्रतिलिपि:- (1) महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) जिला कोषागार पदाधिकारी, गयाजी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) अपर सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/आयुक्त, मगध प्रमंडल,
गयाजी/जिला पदाधिकारी, गयाजी/उप विकास आयुक्त, गयाजी/उप निदेशक कल्याण, मगध प्रमंडल,
गया/उप निदेशक (मु0), अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सभी सहायक निदेशक, अनु0 जाति
एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/प्रभारी पदा0, बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण
विभाग/आई0 टी0 मैनेजर/सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक


विवरणी

वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण
विभाग द्वारा संचालित राजकीय अम्बेदकर आवासीय उच्च विद्यालय, महकार, गयाजी के संधारणार्थ चिकित्सा
भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं विद्युत प्रभार मद में आवंटित राशि की विवरणी।

(राशि-रु0 में)

चिकित्सा भत्ता (01.06)	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06.01)	विद्युत प्रभार मद (13.04)	कुल योग
100000	250000	3000000	33,50,000

कुल राशि (तेतीस लाख पचास हजार रु0) मात्र


निदेशक